शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन

154. श्री शिवेश्वर प्रसाद :
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या शिक्षा मंत्री 5 अप्रैल, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 262 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस अवधि के दौरान शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के बारे में इस बीच कोई कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कार्यक्रम न बनाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग). शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा दी गई है, अभी सरकार के विचाराधीन है। इस संबंध में सिफारिशों पर विचार करने के लिए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन 28-30 अप्रैल, 1967 को हुआ था। इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से गठित संसद सदस्यों की एक समिति आजकल विभिन्न सिफारिशों की जांच कर रही है ताकि शिक्षा की एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जा सके।

जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय

155. श्री शिवेश्वर प्रसाद : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय को तीन मूर्ति से हटाकर नेहरू विश्वविद्यालय में ले जाने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके स्थानान्तरण में क्या कठिनाइयां हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

राज्यों की भाषा

156. श्री शिवेश्वर प्रसाद : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में तथा वहां पर अपनी प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त किन अन्य भाषाओं को आवश्यक सुविधाओं सहित राजभाषा के रूप में प्रयोग किये जाने की अनुमति दी गई है तथा ऐसा कब से किया गया है ;

(ख) अन्य राज्य कौन से हैं और वहां पर इस प्रश्न पर किस रूप में विचार किया जा रहा है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या नीति अपनाई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विवरण सभा पटल पर रखा गया। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—352/67]

(ख) ऊपर (क) में बताये गये राज्यों और केरल तथा नागालैण्ड के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों की विधान सभाओं ने, संविधान की धारा 345 के अधीन अपने-अपने राज्यों के सभी या कुछ सरकारी कामकाज में प्रयोग करने के हेतु विधिनियम द्वारा राज्य में प्रयुक्त भाषाएं अपनाली हैं। केरल में इस उद्देश्य से विधिनियम अभी बनाया जाना है। नागालैण्ड ने राज्य के सभी सरकारी कामकाज के लिये अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने का निर्णय किया है। बिहार विधान परिषद् के समक्ष मार्च 1967 में दिये गये राज्यपाल के अभिभाषण में यह घोषित किया गया था, कि उर्दू को राज्य के सरकारी कामकाज की द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दी जायगी।